राजस्थान सरकार
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग
(अम्बेडकर भवन, जी–3/1, राजमहल पैलेस के पीछे, जयपुर–302005)

क्रमांकः–एफ.1(3)( )295/स्था/सान्याअवि/20/ 30751 जयपुर, दिनांकः– 19-06-2020

आदेश

संयुक्त शासन सचिव, प्रशासनिक सुधार (अनुभाग–3) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर के पत्र क्रमांक प.1(1)प्र.सु./अनु–3/2020 जयपुर दिनांक 16.05.2020 द्वारा राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा वर्ष 2018 में आयोजित कनिष्ठ सहायक भर्ती परीक्षा, वर्ष 2018 की प्रतियोगी परीक्षा में सफल घोषित होने के फलस्वरूप राजस्थान सेवा नियम एवं राजस्थान अधीनस्थ कार्यालय लिपिकवर्गीय सेवा नियम, 1999 के अधीन सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, राजस्थान के पंचायत समिति स्तर पर **कार्यालय सामाजिक सुरक्षा अधिकारी** में निम्नांकित अभ्यर्थियों को अस्थाई आधार पर कनिष्ठ सहायक के पद पर कार्मिक विभाग की अधिसूचना दिनांक 20.01.2006 एवं वित्त (नियम) विभाग की अधिसूचना क्रमांक प015(1)वित्त/नियम/2017 दिनांक 30.10.2017 के अनुसार दो वर्ष की अवधि के लिए परिवीक्षाधीन प्रशिक्षणार्थी (Probationer- trainee) के रूप में नियत पारिश्रमिक 14600/–प्रतिमाह एवं तत्पश्चात् पे–मैट्रिक्स लेवल संख्या–5 पर अघोलिखित शर्तो पर कार्यभार सम्भालने की तिथि से एतद्द्वारा निम्न कार्यालयों में नियुक्त किया जाता है :–

S. NO.	MERIT	ROLLNO	NAME	FATHER'S NAME	DATE OF BIRTH	GEN	CAT	SEL_CAT	Alloted Block (TSP)	District
1	7945	1184574	GOPAL LAL SHARMA	SHIV NARAYAN SHARMA	21 August 1989	Male	GEN	GEN	GIRWA	UDAIPUR
2	7951	2487922	YASH PATIDAR	DHANESHWAR PATIDAR	12 November 1999	Male	OBC	GEN	BAGIDAURA	BANSWARA
3	10891	1687629	HIMANSHU JOSHI	HEERA LAL JOSHI	18 November 1984	Male	GEN	GEN	GOGUNDA	UDAIPUR
4	14618	1839287	ROHIT PATIDAR	PREMSHANKAR PATIDAR	22 October 1998	Male	GEN	GEN	SAJJANGARH	BANSWARA
5	14786	2487893	SANDEEP KUMAR PATIDAR	PRAKASH PATIDAR	4 March 1994	Male	OBC	GEN	**CHHOTI SADRI**	**PRATAPGARH**
6	15259	1830726	PARITESH KUMAR SHARMA	ASHOK KUMAR SHARMA	22 October 1996	Male	GEN	GEN	ABU ROAD	SIROHI
7	15286	1616998	JATIN PATEL	BHARAT SINGH	24 June 1996	Male	OBC	GEN	TALWARA	BANSWARA
8	15684	1699667	HIMESH BHATT	DEVENDRA BHATT	28 April 1985	Male	GEN	GEN	**KOTDA**	**UDAIPUR**
9	15752	2133219	PRANAV PUNJOT	HETLAL PUNJOT	6 December 1996	Male	GEN	GEN	SAGWARA	DUNGARPUR
10	16708	1610569	HEMENDRA SINGH CHUNDAWAT	NARPAT SINGH CHUNDAWAT	5 October 1989	Male	GEN	GEN	KUSHALGARH	BANSWARA
11	17011	1113643	ANAND PATEL	RAMESH CHANDRA PATEL	22 December 1995	Male	OBC	GEN	KHAIRWADA	UDAIPUR
12	17047	1485567	HARSH TRIVEDI	BHOGILAL TRIVEDI	4 January 1999	Male	GEN	GEN	**BICHHIWARA**	**DUNGARPUR**
13	17094	2278443	SHATRUGHAN KUMAR CHOUBISA	SHANTI LAL CHOUBISA	19 February 1993	Male	GEN	GEN	LASADIYA	UDAIPUR
14	17385	1306889	DASHRATH KALAL	GAUTAM LAL KALAL	23 August 1994	Male	OBC	GEN	DHARIYAWAD	PRATAPGARH
15	17451	1534404	HARSHIT KUMAR PUROHIT	OM PRAKASH PUROHIT	15 June 1991	Male	GEN	GEN	AASPUR	DUNGARPUR
16	17544	1575942	MOHAMMED TOSIF	YUSUF MOHAMMAD	16 March 1998	Male	GEN	GEN	GHATOL	BANSWARA
17	17559	1449599	HILPESH MFHTA	DAYALAL MEHTA	3 October 1991	Male	GEN	GEN	SEEMALWARA	DUNGARPUR
18	17619	2472243	SUDHIRPAL SINGH DEORA	RAGHUNATH SINGH DEORA	1 September 1995	Male	GEN	GEN	PINDWARA	SIROHI
19	17899	1838484	NAVEEN KUMAR KALAL	MANI LAL	24 June 1991	Male	OBC	GEN	ANANDPURI	BANSWARA
20	18133	1836060	RAHUL LABANA	BHARAT SINGH LABANA	20 June 2000	Male	MBC	GEN	**PRATAPGARH**	**PRATAPGARH**
21	18183	1434938	JAYESH VAISHNAV	GIRVARDAS VAISHNAV	15 July 1995	Male	OBC	GEN	GARHI	BANSWARA
22	18329	2277797	SURENDRA SINGH RATHOR	RAM SINGH RATHOR	13 May 1997	Male	GEN	GEN	**SALUMBAR**	**UDAIPUR**

23	24961	1384775	BHAVESH YADAV	SHANKER LAL YADAV	9 July 1999	Male	SC	SC	DUNGARPUR	DUNGARPUR
24	28090	1692633	KUBESHWAR MEENA	THANESHWAR MEENA	2 December 1994	Male	ST	ST	SARADA	UDAIPUR

उक्त नियुक्तियां निम्नलिखित शर्तो के अधीन की जा रही है:–

1. उपरोक्त अभ्यर्थियों को आदेश जारी होने की दिनांक से 15 दिवस के अन्दर अपने पद का कार्यभार सम्भालना होगा। किसी कारणवश 15 दिवस में उक्त पद का कार्यभार संभालने में असमर्थ हो तो पूर्ण विवरण के साथ कारण स्पष्ट करते हुए निम्नहस्ताक्षरकर्त्ता को सूचित कर देवें कि वे कब तक कार्यभार संभालेगें। निर्धारित अवधि में कार्यभार नही संभालने अथवा कोई उत्तर प्राप्त नही होने की स्थिति में नियुक्ति आदेश निरस्त करने की कार्यवाही की जावेगी।
2. अभ्यर्थी को कार्यभार ग्रहण करने से पूर्व नियत वेतन (Fix Pay) पर कार्य करने की अपनी सहमति लिखित रूप में प्रस्तुत करनी होगी।
3. उक्त नियुक्तियां सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के परिपत्र एफ11/एसटी एससी ओबीसी एसबीसी/जा.प्र.प./सान्याअवि/2015/54159 दिनांक 09.09.2015, पत्रांक 63606–726 दिनां 20.10.2015 एवं प011(204)आरएण्डपी / डीडीबीसी/सान्याअवि/2011/68999–69032 जयपुर दिनांक 11.11.2016 में वर्णित दिशा निर्देशो/सत्यापन के अध्यधीन पूर्णतया अस्थाई रूप से रहेगी।
4. परिवीक्षा काल (Probation Period) में इन्हें कोई वार्षिक वेतनवृद्धि देय नहीं होगी।
5. दो वर्ष की परिवीक्षा प्रशिक्षण अवधि में संतोषजनक सेवा पूर्ण करने के उपरान्त ही इनका वेतन निर्धारण कनिष्ठ सहायक के पद पर पे–मेट्रिक्स लेवल संख्या–5 में नियमानुसार वेतन एवं उस पर अन्य भत्ते देय होगें।
6. उरोक्त अभ्यर्थियों की वरिष्ठता कनिष्ठ सहायक प्रतियोगी परीक्षा, 2018 में विभाग हेतु योग्यता क्रम में ही रहेगी।
7. परिवीक्षा प्रशिक्षण अवधि में अन्य सुविधा या अवकाश आदि राजस्थान सेवा नियमों में संशोधित प्रावधानों के अनुरूप देय होगें।
8. यदि अभ्यर्थी का कार्य एवं आचरण परिवीक्षा अवधि में कभी भी अथवा परिवीक्षाकाल की समाप्ति पर संतोषप्रद नही पाया गया तो उन्हें बिना किसी क्षतिपूर्ति के सेवा से किसी भी समय विमुक्त किया जा सकेगा।
9. राज्य सरकार द्वारा जारी आदेश संख्या एफ 13(1) एफडी/रूल्स/2003 दिनांक 28.01.04 एवं 27.03.2004 के तहत अंशदायी पेंशन योजना के प्रावधान लागू होगें एवं अन्य आदेश जो राज्य सरकार द्वारा जारी किये गये हो उनके अधीन ही सेवालाभ देय होगें।
10. जो अभ्यर्थी पूर्व से ही नियमित राज्य सेवा में कार्यरत है उन्हें राज्य सरकार के नियमानुसार ही वेतन, भत्ते देय होगें परन्तु पदस्थापन पर कार्यग्रहण के समय पूर्व नियोजक के द्वारा उचित माध्यम (Through Proper Channel) से कार्यमुक्त किये जाने का आदेश, अनापत्ति प्रमाण पत्र एवं गत–भुगतान प्रमाण पत्र भी प्रस्तुत करना होगा।
11. उक्त नियुक्ति राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर जारी निर्देशों/परिपत्रों के अन्तर्गत शामिल होगी एवं समय–समय पर जारी किये गये निर्देश/परिपत्र लागू होगें।
12. कार्मिक (क–2) विभाग के परिपत्र दिनांक 15.05.2018 की अनुपालना में संबंधित अभ्यर्थियों द्वारा प्रस्तुत एटेस्टेशन फार्म एवं स्व–घोषणा के आधार पर यह अस्थाई नियुक्ति दी जा रही है। पुलिस विभाग द्वारा प्रेषित चरित्र सत्यापन रिपोर्ट में कोई भी विपरीत तथ्य पाये जाने पर चयनित अभ्यर्थी की अभ्यर्थिता निरस्त करते हुये उनका चयन निरस्त किये जाने का अधिकार होगा।
13. परीवीक्षाधीन प्रशिक्षण अवधि के दौरान वित्त(नियम)विभाग की अधिसूचना संख्या एफ12(6)एफडी/रूल्स/05 दिनांक 13.03.2006, 6(6))एफडी/रूल्स/2005 दिनांक 13.03.2006, 1(2)एफडी/रूल्स/2006 दिनांक 13.03.2006, 13(1))एफडी/रूल्स /2003 दिनांक 13.03.2006 एवं राजस्थान सिविल सेवा (संशोधित वेतनमान) नियम, 2008 दिनांक 30.10.2017 के अन्तर्गत नियत पारिश्रमिक(Fixed Remuneration) के हकदार होगें इसके अतिरिक्त अन्य भत्ते यथा–मकान किराया भत्ता, महगांई भत्ता, शहरी क्षतिपूर्ति भत्ता, विशेष वेतन आदि देय नही होगें। यह पारिश्रमिक माननीय उच्च न्यायालय की खण्डपीठ में हुए निर्णय के विरूद्ध माननीय सर्वोच्च न्यायालय में की गयी एस.एल.पी. 25565/2015 राजस्थान राज्य बनाम गोपाल कुमावत के निर्णय के अध्यधीन होगा।
14. सभी अभ्यर्थियों की जन्म तिथि उनके द्वारा प्रस्तुत सैकण्डरी परीक्षा उत्तीर्ण करने के मूल प्रमाण पत्र के आधार पर अंकित की गयी है। अंकित की गयी जन्म तिथि अपरिवर्तनीय होगी।
15. अभ्यर्थी की नियुक्ति तिथि कनिष्ठ सहायक के पद पर कार्यग्रहण की तिथि से मान्य होगी।
16. अभ्यर्थी को कार्यभार सम्भालने हेतु किसी प्रकार का यात्रा भत्ता देय नही होगा।
17. उक्त अभ्यर्थियों ने पूर्व में स्वास्थ्य परीक्षण रिपोर्ट एवं पुलिस विभाग से प्राप्त चरित्र एवं पूर्व–वृत्त सत्यापन प्रस्तुत नही करने पर नियुक्ति के पन्द्रह दिवस में अभ्यर्थी अपने जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, से स्वास्थ्य परीक्षण रिपोर्ट एवं पुलिस अधीक्षक, से चरित्र एवं पूर्ववृत सत्यापन पत्र प्राप्त कर संबंधित कार्यालयाध्यक्ष को प्रस्तुत करेगें। जिसकी प्रति कार्यालयाध्यक्ष निदेशालय में भी भिजवायेगें।
18. **उपरोक्त अभ्यर्थी संबंधित जिला अधिकारी, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग को अपनी कार्यग्रहण रिपोर्ट प्रस्तुत करेगें, जिन्हें जिला अधिकारी अपने अधीन ब्लॉक कार्यालय में उपस्थिति देने हेतु भिजवायेगें।**

उक्त अभ्यर्थी अपने मूल दस्तावेज सत्यापन हेतु लेकर अपनी कार्य ग्रहण हेतु उपस्थिति के समय उनके नाम के सामने अंकित पदस्थापन ब्लॉक के जिला कार्यालय में प्रस्तुत करेगें।

18/6/20

निदेशक

क्रमांक : एफ.1(3)( )295 / स्था / सान्याअवि / 20 / 30752-880 **जयपुर, दिनांकः–** 19-06-2020

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :–

1. निजी सचिव, मंत्री महोदय, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, राजस्थान, जयपुर।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, राजस्थान, जयपुर।
3. निजी सचिव, अध्यक्ष, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड, जयपुर।
4. निजी सचिव, निदेशक, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, राजस्थान,जयपुर।
5. शासन उप सचिव, प्रशासनिक सुधार (अनुभाग–3) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर को उनके पत्र क्रमांक प.1(1)प्र.सु. / अनु–3 / 2020 जयपुर दिनांक 16.05.2020 के क्रम में।
6. निजी सचिव, अतिरिक्त निदेशक,(सतर्कता एवं प्रशासन), सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, राजस्थान,जयपुर।
7. वित्तीय सलाहकार, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, राजस्थान,जयपुर।
8. उप निदेशक / सहायक निदेशक / जिला परिवीक्षा एवं समाज कल्याण अधिकारी / सामाजिक सुरक्षा अधिकारी, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग,................................... को भेजकर लेख है कि अभ्यर्थियों के मूल दस्तावेजों की जॉच कर कार्यभार ग्रहण करायें एवं इनकी कार्यभार ग्रहण करने की रिपोर्ट निदेशालय को भिजवायेगें।
9. कोषाधिकारी कोष कार्यालय, ...।
10. एनालिस्ट कम प्रोग्रामर, मुख्यावास को विभागीय बेबसाईड पर अपलोड करने एवं समस्त जिला अधिकारियों को ई–मेल करने हेतु।
11. प्रभारी, डी.पी.सी. / ए.सी.आर. प्रशाखा, मुख्यावास।
12. उक्त समस्त अभ्यार्थियों को भेजकर लेख है, कि आप द्वारा दी गई सूचनायें यदि गलत पाई जाती है, तो नियुक्ति तत्काल समाप्त कर दी जावेगी।
13. श्री / श्रीमती / सुश्री...।
14. व्यक्तिगत पत्रावली श्री ....।
15. कार्यालय आदेश पत्रावली।

18/6/20

अतिरिक्त निदेशक (सतर्कता एवं प्रशासन)
एवं संयुक्त शासन सचिव

Mail I.D.- raj.sje@rajasthangov.in Phon No. 0141-2220194
sjed01ada@gmail.com